कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
फतेहपुर–शेखावाटी 332301
जिला : सीकर (राजस्थान)

M.9414042027
dean.coafatehpur@sknau.ac.in

क्रंमाक :एफ( )/लेखा/कृ.महा./एफटीआर/2023/76 दिनांकः 09.05.2023

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी के फार्म पर खरीफ 2023 की विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 20–24 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 26.05.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 100/– रूपये केशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in या sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 100/– का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा छुटने के तुरन्त बाद 1000/–प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 26.05.2023 को दोपहर बाद 02.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in कार्यालय में देखा जा सकता है।

9/5/23
अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका नोमिनी नियुक्त करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. फार्म इंचार्ज, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी।
5. कैशियर, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी।
6. नोटिस बोर्ड, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332301

जिला : सीकर (राजस्थान)

बीज उत्पादन खरीफ फसलें – वर्ष 2023 हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा।

1.	निविदा की कीमत	100 रू प्रति निविदा
2.	निविदा संदर्भ	**निविदा प्रपत्र** हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2023)
3.	निविदा प्रपत्र	सलंग्न (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्ते।
4.	निविदा प्राप्त करने का समय	कार्यालय कार्य दिवस में सुबह10.00 से सांय 5.00 बजे तक
5.	निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	**26.05.2023** दोपहर 1.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि	**26.05.2023** दोपहर 02.00 बजे
7.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर – 332301

कृषि महाविद्यालय

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332301

जिला : सीकर (राजस्थान)

निविदा प्रपत्र

बीज उत्पादन खरीफ फसलें – वर्ष 2023 हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा।

10. **योजना का नामः** हिस्सा आधारित खेती
11. **बजट मदः** Revolving found
12. **कार्य की अनुमानित अवधिः** 6 माह (एक सीजन)
13. **कार्य की अनुमानित लागतः** ....
14. **अमानत राशि की प्रकृति व राशिः** सफल निविदादाता को 1000/– प्रति हैक्टर की दर से बैकर चैक/डी0डी द्वारा कार्यालय में जमा करवानी होगी।
15. **निविदा फार्म की कीमत :** रूपये 100/–
16. **निविदा खोलने की दिनांक व समय :– 26.05.2023** दोपहरः 2.00 बजे
17. **फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूचि में नहीं है।**
18. **दरें नीचे दर्शायी गई तालिका में देनी है**

कृषि महाविद्यालय

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
फतेहपुर–शेखावाटी जिला : सीकर (राजस्थान)332301

निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :–

7. योजना का नामः खरीफ फसलें – वर्ष 2023 हिस्सा आधारित खेती		
8. बजट मदः रिवोल्विग फंड, खरीफ 2023		
9. कार्य की अनुमानित अवधिः 6 माह (एक सीजन)		
10. **अमानत राशि की प्रकृति व राशिः** सफल निविदादाता को 1000/– प्रति हैक्टर की दर से डी0डी0 द्वारा कार्यालय में जमा करवानी होगी।		
11. निविदा खोलने की दिनांक व समय :– **26.05.2023** दोपहरः 2.00 बजे		
12. निविदादाता : कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण नीचे दर्शाया गया है।		
क्र0सं	बोई जाने वाली फसल का नाम	उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)
1	सम्भावित बोई जाने वाली फसलें – ग्वार, मूँग, चंवला, मोठ, बाजरा, मूंगफली	

निविदा की शर्ते :–

1. हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई–गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप मे करवाई जा सकती है।
2. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगें। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई–गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगें।
3. खड़ी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई–गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होगें।
4. फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होगें।
5. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुंरन्त बाद 1000/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
6. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
7. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवायें जायेगें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
8. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो, ओजारो, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख–रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
9. बीज उत्पादन हेतु समस्त शष्य कियाये फार्म मेनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिको व ओजारो की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
10. फार्म की चोकीदारी ,पशु–पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस–पास की सफाई हिस्साधारक को दिन व रात में करनी होगी।
11. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
12. व्यवसायी उत्पादन मे हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।

13. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम मे रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख मे करवाना होगा।
14. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
15. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को मे जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी मे 7 दिन पहले एवं 7दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
16. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होगें।
17. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
18. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिको के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।
19. मौसम या अन्य कारणो से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तो को भी शामिल कर सकते है।
21. केन्द्र द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार मे रखने के एक माह मे हिस्सा राशि संबधित हिस्सादार को अदा की जाएगी।
22. निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा।
23. थ्रसिंग मशीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी /फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो । अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
24. फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना)का कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।
25. प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
26. दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
27. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढाई जा सकती है।
28. अनुमानित हिस्सेदारी से अधिक हिस्सेदारी मांगे जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।

अधिष्ठाता

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :–
पता:–
मो0 न0:–
आधार सं.